तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15–05–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 के सम्बन्ध में वादी के खाते में स्थित आराजी संख्या 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 में वादी अपीलान्ट के पूर्वज जमाल के नाम दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजी 4 बीघा 14 बिस्वा को नामान्तरकरण संख्या 249 से कपासन फिडर में जाने से बिलानाम दर्ज किये जाने का अंकन किया है। उक्त भूमि जमाल की खातेदारी में स्थित थी तथा नामान्तरकरण संख्या 249 से उक्त भूमि को मिसल नंबर 23 से सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किया गया है। अपीलान्ट वादी स्वयं यह कहकर आया है कि बिना विधिक प्रक्रिया के उक्त भूमि उसकी खातेदारी से सिंचाई विभाग के नाम दर्ज की गई है तो इन परिस्थितियों में जबकि खातेदारी वर्ष 1974 में मिल चुकी है, तो किस आधार पर वर्ष 1978 में उक्त भूमि को मिसल संख्या 23 से उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज की गई इस हेतु वादी अपीलान्ट के पूर्व का समर्पण पत्र अथवा उनको क्षतिपूर्ति दिये जाने की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। मिसल संख्या 23/78 को प्रस्तुत करना तथा सिंचाई विभाग के नाम भूमि विधिक आधारों पर दर्ज होने का दायित्व रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी का था, परन्तु उक्त साक्ष्य सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि तनकी संख्या 2 व 3 पृथक आधारों पर अवलम्बित थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पांचों तनकीयों का आदेश–20, नियम–5 जाब्ता दीवानी के विपरित संयुक्त निर्णय कर त्रुटि की है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा	

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–3–2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर देकर प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रख तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–7–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0..... ..... उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।